डी पी एच सी एल

DPHCL

10वीं वार्षिक रिपोर्ट
10th ANNUAL REPORT
2016-17

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल
DPHCL

10वीं वार्षिक रिपोर्ट
10th ANNUAL REPORT
2016-17

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)
DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)
(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)
(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002
दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002
Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

विषय–सूची | Contents

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	नोटिस	1
	Notice	
2.	कंपनी सूचना	5
	Company Information	
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य	6
	Background And Function of DPHCL	
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	10
	Director's Report	
5.	प्ररूप एमजीटी–9 वार्षिक विवरणी का सार	21
	Form No.MGT-9 Extract Of Annual Return	
6.	कर योग्य आय की गणना	30
	Computation Of Taxable Income	
7.	तुलन–पत्र	31
	Balance Sheet	
8.	लाभ और हानि का विवरण	33
	Statement of Profit and Loss	
9.	नकद प्रवाह का विवरण	35
	Cash Flow Statement	
10.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	37
	Notes on Financial Statements	
11.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	48
	Independent Auditor’s Report	
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	58
	Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534

दूरभाष : 23490357 **ई–मेल : dphcltd@yahoo.com**

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्य गणों की 10वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 21 दिसंबर, 2017 को अपराह्न 05:30 बजे पुलिस मुख्यालय का कान्फ्रेंस हॉल, तिसरी मंजिल, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2017 के तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि का लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अपनाना।

2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना और और निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सिनदी लेखाकार का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।''

विशेष कार्य:

3. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री अमूल्य कुमार पटनायक (डिन: 0007749756), जिन्हें निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

4. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री मृत्युंजय झा (डिन: 07921094), जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामिती निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

CIN No.: U4500DL2007GOI170534

Tele No. 23490357 e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MAMBERS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED WILL BE HELD ON THURSDAY, THE 21ST DAY OF DECEMBER 2017 AT 5:00 PM. IN THE CONFERENCE HALL POLICE HEADQUARTERS, IIIRD FLOOR, PHQ, NEW DELHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESSES:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Corporation for the Finacial Year ended 31st March 2017 including Balance Sheet as at 31st March 2017 and the Statement of Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

2. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the year 2017-18 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the following resolution an **ordinary resolution:**

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Section139(5) and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and rules framed there under, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2017-18."

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

   "RESOLVED THAT in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh. Amulya Kumar Patnaik (DIN-0007749756) ,who was appointed as a Director and who hold office up to the date of this Annual General Metting be and is hereby appointed as a Director not liable to retire by rotation."

4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

   "**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh. Mrityunjay Jha (DIN07921094) ,who was appointed as an Nominee Director By DDA and who hold office up to the date of this Annual General Metting be and is hereby appointed as a Director not liable to retire by rotation."

5. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री सुधीर कुमार राय (डिनः 07943830), जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा नामिती निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

6. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री राजेश मलिक (डिनः 0008029915), जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.

(राजेश मलिक)
प्रबंध निदेशक
पताः 58, अशोका रोड,
नई दिल्ली – 110001

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 21.12.2017

टिप्पणीः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण, जो बैठक में विशेष कार्य संबंधी ब्यौरे को बताता है, यहां इसके साथ संलग्न है।

2. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी/परोक्षियों नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे परोक्षी/परोक्षिया को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे सदस्य अथवा अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से कार्य करेगा, जिनके पास मतदान के अधिकार के लिये कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

3. परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए, विधिवत भरा हुआ परोक्षी फार्म, कंपनी की बैठक आरंभ होने से पहले 48 घंटें पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। परोक्षी फार्म इसके साथ भेजा जा रहा है। कंपनियों, सोसायटियों, इत्यादि की ओर से प्रस्तुत परोक्षी फार्म उपयुक्त संकल्प/प्राधिकारी द्वारा समर्थित, यथा लागू, होना चाहिए।

5. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh. Sudhir Kumar Rai (DIN-07943830) ,who was appointed as an Nominee Director By MHA and who hold office up to the date of this Annual General Metting be and is hereby appointed as Director not liable to retire by rotation."

6. To Consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolutions as an **Ordinary Resolutions:**

"RESOLVED THAT in accordance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under and the Articles of Association of the Company, Shri Rajesh Malik (DIN: 0008029915), who was appointed as Nominee Director by MHA and who holds office up to the date of this Annual General Meeting be and is hereby appointed as Director not liable to retire by rotation."

By the order of the Board
Delhi Police Housing Corporation Limited

RAJESH MALIK
MANAGING DIRECTOR
Address: 58, Ashoka Road
New Delhi 110001

Place : New Delhi
Date :21.12.2017

Notes:

1. The Explanatory statement Pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 , which sets out details relating to Special Business at the meeting, is annexed hereto.

2. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY/ PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. SUCH A PROXY /PROXIES NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.** A person can act as proxy on behalf of member not exceeding fifty(50) and holding in the aggregate not more than can act ten percent of the total share capital of the Company.

3. The instrument of Proxy in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting. A Proxy Form is sent herewith Proxies submited on behalf of the companies, societies etc, must be suppoted by an appropriate resolution / authority, as applicable.

कंपनी सूचना

COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2016–2017)

Board of Directors (2016-2017)

श्री अमूल्य कुमार पटनायक
Shri Amulya Kumar Patnaik
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 31.01.2017)

श्री आलोक कुमार वर्मा
Shri Alok Kumar Verma
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 29.02.2015 से/to 31.01.2017)

श्री अजय कुमार सिंह
Shri Ajai Kumar Singh
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 18.11.2016)

श्री अजय कश्यप
Shri Ajay Kashyap
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 20.06.2016 से/to 18.11.2016)

श्री सुधीर यादव
Shri Sudhir Yadav
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 15-10-2015 से/to 05.05.2016)

श्री संजय प्रह्लाद पाठक
Shri Sanjay Prahlad Pathak
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 28-03-2014)

श्री राकेश मित्तल
Sh. Rakesh Mittal
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 24-03-2015)

श्री यशपाल गर्ग
Shri Yash Pal Garg
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 18.09.2015 से/to 09.09.2016)

श्री महेश कुमार
Shri Mahesh Kumar
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 18.11.2016 से/to 02-03-2017)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स दुआ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
3404, मदन मार्किट, हकीम बाका स्ट्रीट,
हौजकाजी, दिल्ली – 110006

Statutory Auditors
M/s. Dua and Associates
Chartered Accountants
3404, Madan Market, Hakim Baqa Street,
Hauz Qazi, Delhi – 110006

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

Bankers
State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

Registered Office :
Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पाँच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर –दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer – One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum-Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :–

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012– यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक – दो
2. स्वतंत्र निदेशक – दो
3. कार्यकारी निदेशक – दो

सरकारी निदेशक :– डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली – पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर–सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा **अनुसूची 'ग' सीपीएसई** कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई–मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017–2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टों, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि.पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS : DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :- The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012 / 1 / 2019–यूटीपी / भास / गृमं के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें / अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकत: द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067 / 17 / 2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रुप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBII, dated 6th September, 2019.

विलंब कथन

(वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012 / 1 / 2019–यूटीपी / भास / गृमं के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें / अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकत: द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067 / 17 / 2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त / प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007–08 से 2018–19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन / प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBII, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on deted 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

आपके निदेशकगणों कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर 10वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिका प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. व्यापार और प्रचालन

निगम की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, संरचना निर्माण या मरम्मत करना है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड ने दिल्ली पुलिस की चल रही छह परियोजनाओं को शुरू किया। दिपुआनिलि से एक बापूधाम की परियोजना को वापिस लिया गया है। चार परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी ह और पाँचवीं पूर्ण होने वाली है ।

2. वित्तीय सार अथवा विशेषताएं

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सार इस प्रकार है

DIRECTOR'S REPORT

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting their Tenth Annual Report on the business and operations of the Company and Audited Financial Statements for the Financial Year ended on 31st March, 2017.

1. Business and Operations:

The main activity of the Corporation is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Delhi Police Housing Corporation Limited has taken over six ongoing projects of Delhi Police. One project of Bapudham was taken back from DPHCL. Four projects have been completed and fifth is almost complete.

2. Financial Summary or Highlights:

The financial performance, for the year ended 31st March, 2017 is summarized as:

(राशि रुपयों में Amount in Rupees)

विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष / FY2016-17	वित्तीय वर्ष / FY2015-16
प्रचालन से राजस्व (आय) (निवल)	Revenue from operations (net)	-	-
अन्य आय	Other income	38,719,300	301,173,244
कुल राजस्व	**TOTAL REVENUE**	**38,719,300**	**301,173,244**
व्यय	EXPENDITURE	38,507,869	283,759,569
असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) before Extra Ordinary items	211,431	17,413,675
जोड़ें : अपवादात्मक वस्तुएं	Add: Exceptional Items	-	-
घटाएं: असाधारण मदें	Less: Extra-ordinary Items	-	-
घटाएं: कर–निर्धारण के लिए प्रावधान	Less: Provision for taxation	2,143,582	5,887,234
वर्तमान कर	Current Tax	-	-
आस्थगित कर	Deferred Tax	-	-
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) after Tax for the year**	**(1,932,151)**	**11,526,441**

3. लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश को प्रस्तावित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के

3. Dividend:

The Directors of your Company do not propose any dividend during the year. Further as per guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by Deptt. of Investment & Public Asset

उद्यमों (डी आई पी ए एम) के पूंजीगत पुनर्गठन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई लागू विधिक उपबंधों के अधीन अनुमत अधिकतम लाभांश के अध्याधीन, करोपरांत लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा।

निगम के पास कोई व्यावसायिक आय नहीं है, इसलिए, निगम ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान लाभांश घोषित करने से अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से गृह मंत्रालय से छूट का अनुरोध किया और दिशानिर्देश के पैरा 5.4 के अनुसार वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की समाप्ति से पहले सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा।

4. **<u>आरक्षित</u>**

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु1,932,151/– का नुकसान उठाया है, इसलिए किसी भी राशि को अंतरित नहीं किया है।

5. **<u>व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन</u>**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. **<u>निदेशक मंडल</u>**

निगम का निदेशक मंडल गठित है, जिसमें अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत में निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार हैः

1. अध्यक्ष

   श्री अमूल्य कुमार पटनायक, आईपीएस, पुलिस आयुक्त दिल्ली

2. प्रबंध निदेशक

   श्री अजय कुमार सिंह, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस

3. श्री संजय प्रहलाद पाठक, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली

4. श्री राकेश मित्तल, निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के दौरान नियुक्तियां

1. वर्ष के दौरान श्री के. महेश, दानिक्स/ विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 18 नवंबर, 2016 को निगम के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसी तारीख को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियमित किया गया।

Management (DIPAM), every CPSE would pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net worth, whichever is higher subject to the maximum dividend permitted under the extant legal provisions.

The Corporation has no business income, therefore, the Corporation requested MHA to seek exemption in concurrence with their Financial Adviser from declaring dividend during the financial year 2016-17 and forwarded the proposal to Secretary, Department of Economic Affairs and Secretary, Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Government of India before the end of second quarter of the financial year as per para 5.4 of the guideline.

4. **<u>Reserves:</u>**

During the Financial year ended 31st March, 2017, the Company has incurred losses of Rs.1,932,15/- therefore not transferred any amount to reserves.

5. **<u>Change in the Nature of Business:</u>**

There is no change in the nature of business during the Financial Year 2016-2017.

6. **<u>Board of Directors:</u>**

The Board of the Corporation is duly constituted, consisting of Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi and Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The Composition of the Board at the end of the Financial Year 2016-17:

1. Chairman

   Shri Amulya Kumar Patnaik, Commissioner of Police, Delhi

2. Managing Director

   Shri Ajai Kumar Singh, Special Commissioner of Police, Delhi Police

3. Shri Sanjay Prahlad Pathak, Addl. Commissioner (Planning), Delhi Development Authority (DDA), Vikas Minar, New Delhi

4. Shri Rakesh Mittal, Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi

Appointments during the Financial Year 2016-2017

1. During the period Shri K. Mahesh, DANICS/Special Secretary (Home), Govt of NCT of Delhi was appointed as Additional Director of the Corporation on 18th November, 2016 and regularized as Director in the Annual General Meeting held on the same date.

2. वर्ष के दौरान श्री अजय कश्यप, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त/प्रावधान और रसद, दिल्ली को दिनांक 29 जून, 2016 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

3. वर्ष के दौरान श्री अजय कुमार सिंह, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त को दिनांक 18 नवंबर, 2016 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

4. श्री अमूल्य कुमार पटनायक, जिन्हें पुलिस आयुक्त, दिल्ली के रूप में नियुक्त किया गया है दिनांक 16 मार्च, 2017 को आयोजित बोर्ड की बैठक मे दिनांक 31.01.2017 से निगम के अपर निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

5. श्री राजेश मलिक, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त को दिनांक 04.12.2017 से निगम का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सेवानिवृत्तियां और त्याग–पत्र

1. श्री अजय कश्यप, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त/प्रावधान और रसद, दिल्ली की उनके विशेष पुलिस आयुक्त/यातायात के रूप में स्थानांतरण होने के कारण दिनांक 18.11.2016 से निगम के प्रबंध निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई है। बोर्ड श्री अजय कश्यप को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

2. श्री यशपाल गर्ग, दानिक्स/विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उनके दिल्ली से अंडमान निकोबार द्वीप में स्थनांतरण होने के कारण दिनांक 09.09.2016 से निगम निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई । बोर्ड श्री यशपाल गर्ग को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

3. श्री सुधीर यादव, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त/प्रावधान और रसद, दिल्ली की उनके महानिदेशक (जेल) के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्थनांतरण होने के कारण दिनांक 05.05.2016 से निगम के निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई है।

4. श्री आलोक कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निदेशक के रूप में स्थानांतरण होने के कारण दिनांक 31.01.2017 से निगम निदेशक और अध्यक्ष के पद से सेवाएं समाप्त हो गई । बोर्ड श्री आलोक कुमार वर्मा को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

2. During the period Shri Ajay Kashyap, IPS, Special Commissioner of Police/P&L, Delhi was appointed as Managing Director of the Corporation in the Board Meeting held on 29th June, 2016.

3. During the period Shri Ajai Kumar Singh, IPS, Special Commissioner of Police was appointed as Managing Director of the Corporation in the Board Meeting held on 18th November, 2016.

4. Shri Amulya Kumar Patnaik, who has been appointed as Commissioner of Police, Delhi was appointed as Additional Director and Chairman of the Corporation in the Board Meeting held on 16th march, 2017 w.e.f. 31.01.2017.

5. Shri Rajesh Malik, IPS, Special Commissioner of Police was appointed as Managing Director of the Corporation w.e.f. 04.12.2017.

Retirements and Resignations during the Financial Year 2016-2017

1. Shri Ajay Kashyap, IPS, Special Commissioner of Police/P&L, Delhi ceased to be the Managing Director of the Corporation w.e.f. 18.11.2016, due to his transfer as Special Commissioner of Police/Traffic. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Ajay Kashyap during his tenure with the Corporation.

2. Shri Yash Pal Garg, DANICS/Special Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi ceased from the post of Director of the Corporation with effect from 09.09.2016 due to his transfer from Delhi to Andaman & Nicobar Islands. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Yash Pal Garg during his tenure with the Corporation.

3. Shri Sudhir Yadav, IPS, Special Commissioner of Police/P&L, Delhi ceased to be the Director of the Corporation due to his transfer as DirectorGeneral (Prisons), Govt. of NCT of Delhi, Tihar Jail, Delhi with effect from 05.05.2016.

4. Shri Alok Kumar Verma, IPS, Commissioner of Police, Delhi ceases to be the Director and Chairman of the Corporation with effect from 31.01.2017 due to his transfer as Director, CBI. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Alok Kumar Verma during his tenure with the Corporation..

5. श्री के. महेश, दानिक्स/ विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 02.03.2017 से निगम निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई । बोर्ड श्री के. महेश को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

7. **बोर्ड मीटिंग की संख्या**

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच का अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पाँच बैठकें निम्नांकित तारीखों को हुईं:

1) 29 जून, 2016
2) 09 सितंबर, 2016
3) 18 नवंबर, 2016
4) 16 मार्च, 2017

5. Shri K. Mahesh, DANICS/Special Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi ceases to be the Director of the Corporation with effect from 02.03.2017. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri K. Mahesh during his tenure with the Corporation.

7. **Number of Board Meetings:**

The Board met 4 (four) times during the financial year. The intervening gap between two Board Meetings was within the period prescribed by the Companies Act, 2013.

During the year under review, the Board met four times on the following dates:

1) 29th June, 2016
2) 09th September, 2016
3) 18th November, 2016
4) 16th March, 2017

नाम और पदनाम Name & Designation	बोर्ड मीटिंग की तारीख Date of Board Meeting	2016–17 के दौरान बैठकों में उपस्थिति Attendance at Meeting during 2016-2017		कंपनी में निदेशकों की संख्या No. of directorships in Companies
		बोर्ड की बैठक Board Meeting	वार्षिक आम बैठक AGM	
श्री अमूल्य पटनायक, अध्यक्ष Sh. Amulya Patnaik, Chairman	16.03.2017	1	नहीं/No	शून्य/NIL
श्री अजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक Sh.Ajai Kumar Singh, Managing Director	16.03.2017	1	नहीं/No	शून्य/NIL
श्री राकेश मित्तल, निदेशक Sh. Rakesh Mittal, Director	29.06.2016	1	नहीं/No	शून्य/NIL
श्री एस. पी. पाठक, निदेशक Shri S.P. Pathak, Director	29.06.2016, 09.09.2016, 18.11.2016, 16.03.2017	4	हाँ/Yes	शून्य/NIL
श्री अजय कश्यप, प्रबंध निदेशक Sh.Ajay Kashyap Managing Director	29.06.2016, 09.09.2016, 18.11.2016	3	हाँ/Yes	शून्य/NIL
श्री आलोक कुमार वर्मा, अध्यक्ष Shri Alok Kumar Verma, Chairman	29.06.2016, 09.09.2016, 18.11.2016	3	हाँ/Yes	शून्य/NIL
श्री के. महेश, निदेशक Sh. K. Mahesh, Director	18.11.2016	1	हाँ/Yes	शून्य/NIL
श्री यश पाल गर्ग, निदेशक Shri Yash Pal Garg, Director	29.06.2016	1	नहीं/No	शून्य/NIL

8. **मूलभूत परिवर्तन और वचनबद्धता**

निगम की लेखा निति को बदल दिया गया था और इसे दिनांक 20.09.2017 को हुई बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था। लेखाकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव से दिल्ली पुलिस आवास निगम की आय/लाभ मे कमी आएगी और निगम की आयकर देयता कम हो जाएगी।

9. **महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण**

किसी विनियामक/कोर्ट अथवा अधिकरण द्वारा कंपनी की चलायमान स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई भी सार्थक और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए।

10. **सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण**

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कंपनी नहीं है तथा ना ही वित्तीय वर्ष के दौरान कोई कंपनी इसकी धारक/सहायक अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी बनी। अतएव वार्षिक विवरणी का सार एमजीटी–9 में **अनुलग्नक 'क'** प्रकटन अपेक्षित नहीं है।

11. **निवेश**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के दायरे में कोई निवेश स्वीकार्य अथवा नवीकृत नहीं किया है तथा तुलन–पत्र की तारीख को कंपनी की ओर से कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था। वर्ष के दौरान, निगम ने जनता से कोई निवेश नहीं स्वीकारा है।

12. **सांविधिक लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

मैसर्स दुआ एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी) द्वारा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षक ने सदस्यगणों को अपनी रिपोर्ट में अपनी राय के योग्यता के बिना कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है और इस संबंधक में आपके निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

12.1 **लेखापरीक्षक की टिप्पणी:**

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 11.11.2016 की अनुपूरक रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए), अनुदान प्रदाता एजेंसी से उनसे प्राप्त अनुदानों से सृजित की गई संपत्ति के स्वामित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। उस संबंध में गृह मंत्रालय से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, प्रबंधन ने स्पष्ट

8. **Material Changes and Commitments:**

The accounting policy of the Corporation was changed and it was approved in the board meeting held on 20.09.2017. The impact of change in the accounting policy will result in decrease in the income/profit of DPHCL and reduced income tax liability of the Corporation.

9. **Details of Significant and Material Orders:**

There were no significant and material orders passed by any regulators/courts or tribunals impacting the on-going concern status and company's operations in future.

10. **Details of Subsidiary/Joint Ventures/ Associate Companies:**

The Company does not have any Subsidiary/ Joint Venture/Associate Company and no Company became its Holding, Subsidiary or Joint Venture Company during the financial year. Hence, the disclosure in **Annexure "A"** in MGT-9 is not required.

11. **Deposits:**

The Company has not accepted nor renewed any deposits within the meaning of Section 73 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 during the financial year 2015-16 and no amount of principal or interest was outstanding on the part of the company as on the Balance Sheet date. The Corporation has not accepted any deposits from public during the year.

12. **Statutory Auditors and Audit Report:**

M/s Dua & Associates, Chartered Accountants, were appointed as the Statutory Auditors of the Corporation by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for the financial year 2016-2017.

The Auditors' in their Report to the members without qualifying their opinion have drawn attention on few points and the explanation of your board with respect to the same are as below:

12.1 **REMARKS BY THE AUDITOR:**

As per supplementary CAG report dated 11.11.2016, clarifications were required to be obtained from Ministry of Home Affairs (MHA), the granting agency about the ownership of assets created out of the grants received from it. No clarification about the same has been received from MHA. However, the

किया है कि अनुदान से बनाई गई संपत्ति एक अलग संस्था दिल्ली पुलिस की है। प्राप्त अनुदानों को राजस्व अनुदान के रूप में माना जाता है अर्थात् दिल्ली पुलिस के कार्यालय और आवासीय भवनों के प्रयोजन के लिए प्राप्त अनुदान को लेखांकन वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान की सीमा तक राजस्व माना जाता है। तद्नुसार उसका लेखांकन किया जाता है।

प्रबंधन का स्पष्टीकरण :

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) द्वारा गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के लेखांकन के संबंधी अपनाई गई लेखा नीति लेखा मानक–12 के दिशानिर्देशों के अनुसार है। दिल्ली पुलिस के दस्तावेजों और स्पष्टीकरण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सभी सृजित परिसंपत्ति दिल्ली पुलिस के स्वामित्व में होंगी न कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड। दिल्ली पुलिस की ओर से परियोजनाओं के लिए गृह मंत्रालय से अनुदानों को प्राप्त किया जाता है और तद्नुसार कार्यकारी एजेंसियों को भुगतान किया जाता है। सरकारी अनुदान डीपीएचसीएल की प्राप्तियाँ और आय नहीं हैं। डीपीएचसीएल की भूमिका दिल्ली पुलिस की ओर से कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से काम करवाने की है।

इसके अलावा, सरकारी अनुदानों को राजस्व आय/प्राप्तियों के रूप में मान्यता, कार्यकारी एजेंसियों को मिलान सिद्धांत के आधार पर भुगतान की गई राशि की सीमा तक दी जाती है और शेष राशि, यदि कोई है, की गणना परियोजनाओं के लिए अग्रिम के रूप में तुलन–पत्र में की जाती है। 'परियोजनाओं के लिए अग्रिम' की जैसी राशि को, यदि अनुपयोगी रह जाती है, तो उसे बैंक के साथ सावधि जमा निवेश के रूप में रखा जाता है।

12.2 <u>**लेखापरीक्षक की टिप्पणी:**</u>

कंपनी ने बापू धाम परियोजना हेतु 2010–11 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को रु. 60. लाख का भुगतान किया था। चूँकि परियोजना नहीं चल सकी, इसलिए दी गई अग्रिम राशि डूब गई है और उसे लाभ और हानि लेखे में नामे किया गया है। राशि एक पूर्वावधि व्यय है। (टिप्पणी सं.17 देखें)

प्रबंधन का स्पष्टीकरण –

यह परियोजना नहीं चल सकी और उसे दिल्ली पुलिस ने डीपीएचसीएल से वापस ले लिया। गृह मंत्रालय और लेखा नीति के निर्देशों के अनुसार, यह डीपीएचसीएल द्वारा पुनः प्राप्त करने योग्य नहीं था। अतः वर्ष के दौरान इसे बट्टे–खाते में लिखा गया है।

management has explained that assets created out of grant belong to Delhi Police, a separate entity. Grants received are treated as revenue grants i.e. grant received for the purpose of office & house buildings to Delhi Police are considered as revenue to the extent of grant utilized during the accounting year. Accounting for the same is done accordingly.

MANAGEMENT EXPLANATION:

The Accounting Policy adopted by Delhi Police housing Corporation Ltd. (DPHCL) is as per Accounting Standard-12 guidelines in respect of accounting of Grants received from MHA. It is very clear from documents and clarifications from Delhi Police that all assets constructions shall be owned by Delhi Police and not the DPHCL. Grants are received from MHA on behalf of Delhi Police for the projects and the same are paid to Executing Agencies accordingly. Govt Grants are not the receipts and income of DPHCL. The role of DPHCL is to get the work done through the Executive Agencies on behalf of Delhi Police.

Further, Government Grants are recognized as revenue income/receipts to the extent, amount paid to the Executive Agencies on the basis of matching principle and the rest amount, if any, is accounted for in Balance Sheet as advance for projects. Such amount of 'advance for projects' if remains unutilized, the same is kept in FDR form with Bank.

12.2 <u>**REMARKS BY THE AUDITOR:**</u>

The company had paid a sum of Rs.60 lakh to PWD in 2010-11 for Bapu Dham Project. Since the project could not take off, the advance given has been written off & has been debited to profit & loss account. The amount is a prior period expense. (refer Note No.17)

MANAGEMENT EXPLANATION-

The project could not take off and the same was withdrawn from DPHCL by Delhi Police. As per the directions of MHA & Accounting Policy, this was not recoverable by DPHCL. Hence, the same has been written-off during the year.

12.3 **<u>लेखापरीक्षक की टिप्पणीः</u>**

ठेकेदारों को किए गए भुगतान को, चाहे इसका उपयोग कितना भी हुआ हो, भुगतान वर्ष में निर्माण व्यय में बुक किया गया था। पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ठेकेदारों से ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती न वसूलने के बारे में अभियुक्ति की गई थी। न तो किसी राशि की गणना की गई है और न ही कोई राशि वसूली गई है।

प्रबंधन का स्पष्टीकरण–

डीपीएचसीएल ने निर्माण खर्च के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्यकारी एजेंसियों को राशि का भुगतान किया। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा दिल्ली पुलिस के माध्यम से गृह मंत्रालय को ब्याज सहित अनुपयागी राशि का भुगतान किया जा रहा है। चूंकि कार्यकारी एजेंसियों ने पहले ही आयकर विभाग से छूट ले ली है, इसलिए बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज पर कोई स्रोत पर कटौती नहीं काटी गई है।

12.4 **<u>लेखापरीक्षक की टिप्पणीः</u>**

कंपनी पिछले वर्षों में अप्रयुक्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज को अपनी आय मान रही है। चूंकि चालू लेखा वर्ष (पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के मामले में) के दौरान अनुदान के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज अनुदान का भाग होता है, इसलिए कंपनी ने गृह मंत्रालय, अनुदान प्रदाता एजेंसी को रु. 17,47,26,472.00 की भुगतान योग्य ब्याज सहित अप्रयुक्त निधि के लिए देयताएं प्रदान की है।

प्रबंधन का स्पष्टीकरण–

प्राप्त दस्तावेजों और निर्देशों के अनुसार, 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरणों की लेखों पर टिप्पणियां की टिप्पणी सं. 15 के अनुसार लेखांकन नीति में एक बदलाव है। कार्यकारी एजेंसियों के पास पड़े धन पर अर्जित ब्याज डीपीएचसीएल की आय का हिस्सा नहीं बनता है।

13. **<u>भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षाः</u>**

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'शून्य' अभियुक्ति दी है, अतः निगम की प्रबंधन से कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–2017 के दौरान बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

12.3 **<u>REMARKS BY THE AUDITOR:</u>**

Payments made to the contractors were booked in construction expenses in the year of payments irrespective of its utilization. Observation regarding non-recovery of TDS on interest from contractors was pointed out in previous year's audit report. Neither any amount has been calculated nor has any amount been recovered.

MANAGEMENT EXPLANATION-

DPHCL paid amount to the Executing Agencies as per utilization Certificate for construction expenses. Unutilized amount along with interest are being paid by the Executing Agencies to MHA through Delhi Police. Since the Executive Agencies have already taken exemption from Income Tax Department, no TDS has been deducted by the Banks on interest earned.

12.4 **<u>REMARKS BY THE AUDITOR:</u>**

The Company has been recognizing interest earned on unutilized grants as its income in the previous years. Since the interest on unutilized portion of grants form part & partial of the grant, during the current accounting year (in case of completed projects), the company has provided liabilities for unutilized funds along with interest thereon for a sum of Rs.17,47,26,472.00 payable to MHA, the granting agency.

MANAGEMENT EXPLANATION-

According to the documents and directions received, there is a change in Accounting Policy as per note No.15 (Notes on Accounts) of Financial Statements ending 31.03.2017. Interest earned on funds lying with Executing Agencies does not form part of DPHCL income.

13. **<u>COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG) AUDIT:</u>**

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) in its supplementary audit report has given "NO" comments, thus it requires no explanation from the management of the Corporation.

Further, no frauds were reported U/s 143(12) to the Board during the Financial Year 2016-2017 under the Companies Act, 2013.

14. **वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार:**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसरण में प्ररूप संख्या एमजीटी–9 के रूप में **अनुलग्नक 'क'** पर वार्षिक विवरणी का सार दिया गया है।

15. **ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय का विवरण:**

क. कंपनी निर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं है, अपने प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं है तथा इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय व व्यय नहीं था।

16. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):**

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित की है तथा समिति की संस्तुति के आधार पर दिनांक 29.03.2016 को कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति अनुमोदित की और वर्ष के दौरान कंपनी की सीएसआर नीति में कोई बदलाव नहीं था।

समीक्षाधीन वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की दिनांक 16.03.2017 को एक (1) बैठक हुई।

14. **Extracts of Annual Return:**

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as **Annexure 'A'** in form MGT-9.

15. **Particulars regarding Conservation of Energy & Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo:**

a. The Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operation and as such no specific methods have been adopted to conserve energy & technology absorption.

b. During the period under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

16. **Corporate Social Responsibility (CSR):**

Pursuant to DPE Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and Section 135 of the Companies Act, 2013, the Board has constituted CSR committee and based on the recommendation of the Committee, the CSR policy has been approved by the Board of Directors of the Company on 29.03.2016 and there was no change in the CSR policy of the company during the year.

During the year under review, the CSR Committee met one (1) time on 16.03.2017.

क्र.सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Shri Amulya Patnaik	अध्यक्ष Chairman	1	1
2	श्री अजय कुमार सिंह Shri Ajai Kumar Singh	सदस्य Member	1	1
3	श्री संजय प्रहलाद पाठक Shri Sanjay Pralhad Pathak	सदस्य Member	1	1

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ख'** पर संबद्ध है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

The annual report on CSR activities pursuant to Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 is attached at ANNEXURE 'B' forming part of this report.

17. **लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रकटीकरण:**

समीक्षाधीन वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की निम्नांकित तारीखों को दो बार बैठक हुई:

1) 09 सितंबर, 2016

2) 18 नवंबर, 2016

17. **Disclosure of Composition of Audit Committee:**

During the year under review, the Audit Committee met two (2) times on the following dates:

1) 09th September, 2016

2) 18th November, 2016

क्र.सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री अजय कश्यप Shri Ajay Kashyap	अध्यक्ष Chairman	2	2
2	श्री संजय प्रहलाद पाठक Shri Sanjay Pralhad Pathak	सदस्य Member	2	2
3	श्री राकेश मित्तल Shri Rakesh Mittal	सदस्य Member	2	शून्य Nil

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत में सीएसआर समिति का गठन नीचे दिया जा रहा है:

1. श्री अजय कुमार सिंह, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, अध्यक्ष
2. श्री संजय प्रहलाद पाठक, अपर आयुक्त (योजना) दिल्ली, सदस्य
3. श्री राकेश मित्तल, निदेशक (दिल्ली) प्रतिनिधि गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, सदस्य

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

समिति का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध वित्तीय रिपोर्टिंग की उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अचूक एवं समय से प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध समिति की वित्तीय प्रक्रिया को मॉनीटर करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना है।

18. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:**

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

19. **ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया।

The Composition of the Audit Committee at the end of the Financial Year 2016-17:

1. Shri Ajai Kumar Singh, Special Commissioner of Police, Delhi Police, Chairman
2. Shri Sanjay Pralhad Pathak, Addl. Commissioner (Planning), DDA, Member
3. Shri Rakesh Mittal, Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi, Member

All recommendations made by the audit committee were accepted by the Board.

The primary objective of the committee is to monitor and provide an effective supervision of the Management's financial reporting process, to ensure accurate and timely disclosures, with the highest level of transparency, integrity and quality of financial reporting.

18. **Internal Financial Control:**

The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

19. **Particulars of Loans, Guarantees or Investments:**

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

20. संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाओं के ब्यौरेः

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गईं सविदाओं या व्यवस्थाओं का कोई दृष्टांत नहीं है। अतएव **अनुलग्नक 'ग'** के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्ररुप एओसी–2 में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

21. जोखिम प्रबंधन नीतिः

कंपनी की कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले तत्व बहुत कम हैं।

22. आचार संहिताः

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए आचार संहिता बनाई है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

23. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ग) में संदर्भित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण के अनुसार निदेशकों का कहना है किः

(क) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

(ङ) असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रस्तुति संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के उप खंड (ङ) कंपनी पर लागू नहीं हैं।

20. Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties:

There were no instances of contracts or arrangements entered by the Company with the related parties. Hence, there is no requirement to furnish particulars as required under sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in form AOC-2 under '**Annexure C**'.

21. Risk Management Policy:

The Company does not have any Risk Management Policy as the elements of risk threatening the Company's existence are very minimal.

22. Code of Conduct:

In compliance of DPE Guidelines, the company has framed the code of Conduct for the Board of Directors & Senior Management. All the members of Board affirm the compliance with the code on annual basis.

23. Directors' Responsibility Statement:

The Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act 2013, the directors would like to state that:-

(a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) The Company being unlisted, sub clause (e) of section 134(5) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls is not applicable to the Company.

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी प्रणाली के उपयुक्त एवं प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

24. <u>सामान्य प्रकटनः</u>

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मदों पर कोई लेन–देन नहीं हुआ हैः

1. लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा विशेष अधिकार के साथ ईक्विटी शेयर को जारी करना।
2. किसी ईएसओपी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों (श्रम साध्य ईक्विटी शेयर सहित) को जारी करना।
3. कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा निधियों का प्रावधान।
4. बोनस शेयर।
5. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान तथा उनकी ड्यूटियों के संबंध में कंपनी की नीति।

25. आभारोक्तिः

आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जीएनएसटी और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्णतः और अत्यधिक सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एसबीआई, कंपनी बैंकर, निगम के सनदी लेखाकार, कंपनी के कानूनी सलाहकार तथा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों को निगम के कार्यों को प्रबंधित करने में अथाह सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं। अंत में ही सही पर प्रधानतः आपके निदेशक दिल्ली पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों में से लिए गए कंपनी के स्व–अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कार्मिकों के अत्यधिक आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके जोश और उत्साह से कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डिन–07749756
निवासीः सी–II/39, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22.01.2018

(f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

24. <u>General Disclosure:</u>

Your Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following items as there were no transactions on these items during the year under review:

1. Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
2. Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme ESOP.
3. Provision of money by Company for purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
4. Bonus Shares.
5. Company's Policy relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge of their duties.

25. Acknowledgements:

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCTD and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Chartered Accountant of the Corporation, Company Law Advisor and Statutory Auditors of the Corporation for their untiring efforts in organizing the affairs of the Corporation. Last but not the least your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors
Delhi Police Housing Corporation Limited

(AMULYA KUMAR PATNAIK)
CHAIRMAN
DIN: 07749756
R/o: C-II/39, Shahjahan Road
New Delhi

Place: New Delhi
Date:22.01.2018

अनुलग्नक 'क'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 10 और 14 देखें)
(पृष्ठ 7 का 1)

प्ररूप एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार
31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

Annexure 'A'
(See Para 10 and 14 of Directors Report)
(page 1 of 7)

FORM NO.MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the Financial Year ended on 31.03.2017
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे
I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

क्र.सं Sr. No.	विवरण	Particulars	ब्यौरे / Details
1	सीआईएन	CIN	यू4500डीएल200जीओआई170534 U45400DL2007GOI170534
2	पंजीकरण की तारीख	Regtistration Date	16/11/2007
3	कंपनी का नाम	Name of Company	दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड Delhi Police housing Corporation Limited
4	श्रेणी	Category	Government Company
5	पंजीकृत कार्यालय का पता	Address of registered office	के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002 K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi–110 002
6	ई–मेल आई डी	Email ID	dphcltd@yahoo.com
7	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	Whether listed or not	Not listed
8	रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्योरे	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	लागू नहीं NA

II. कंपनी की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियाँ
कंपनी के कुल आवर्त का 10% या अधिक का अंशदान करने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किया जाएगा:

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:

क्र.सं Sr. No.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण Name and Description of main products/services Construction	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the product/service	कंपनी के कुल टर्नओवर का % % to total turnover of the company
1.	शून्य / NIL		

III. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण
III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES:

क्र.सं Sr. No.	कंपनी का नाम और पता Name and Address of the Company	सीआईएन / जीएलएन CIN/GLN	स्वामित्व / सहायक / सहयोगी Holding/Subsidiary/ Associate	धारित शेयर का % % of shares held	लागू धारा Applicable Section
1.	....	......शून्य / NIL......	....		

अनुलग्नक 'क'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 10 और 14 देखें)
(पृष्ठ 7 का 2)

Annexure 'A'
(See Para 10 and 14 of Directors Report)
(page2 of 7)

IV. शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में साम्य शेयर पूंजी ब्योरा)

(i) श्रेणी–वार शेयर धारण

IV SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

शेयर धारकों की श्रेणी Category of Share-holders	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का% % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का% % of Total Shares	% Change during
(अ / A) प्रवर्तक / Promoters									
(1) भारतीय / Indian									
क) एकल / अ.हि.प. a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार b) Central Govt	0	500000	500000	100	0	500000	500000	100	0
ग) राज्य सरकार(रें) c) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय / निगम d) Body Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बैंक / वि.सं. e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) अन्य कोई f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (अ)(1) Sub Total(A)(1)	**0**	**500000**	**500000**	**100**	**0**	**500000**	**500000**	**100**	**0**
(2) विदेशी / Foreign									
क) अ.भा.–एकल a) NRI Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य एकल b) Other Inividuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निकाय / निगम c) Body/ Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक / वि.सं. d) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) अन्य कोई e) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (अ)(2) Sub Total(A)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ) = अ(1)+(अ)(2) Total Share-holding of Promotes(A)=A(1)+A(2)	**0**	**500,000**	**500,000**	**100**	**0**	**500,000**	**500,000**	**100**	**0**

अनुलग्नक 'क'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 10 और 14 देखें)
(पृष्ठ 7 का 3)

Annexure 'A'
(See Para 10 and 14 of Directors Report)
(page 3 of 7)

शेयर धारकों की श्रेणी Category of Share-holders	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का% % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का% % of Total Shares	% Change during
(आ / B) पब्लिक शेयर धारिता / Public Shareholding									
(1) संस्थान / Institutions									
क) म्युचुअल फंड a) Mutual Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / वि.सं. b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार(रें) d) State Govts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) उद्यम पूंजी कोष e) Venture Capital Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियां f) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआईएस g) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी संस्थागत निवेशक h) Foreign Venture Capital Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ / i) अन्य कोई / Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (आ) / **Sub Total(B)(1)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) गैर संस्थागत / Non Institutions									
क) कॉर्पोरेट निकाय a) Bodies Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) भारतीय / Indian									
ii) विदेशी / Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत b) Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) रु. 1.00 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) रु.1.00 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) c) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (आ) / **Sub Total(B)(2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल पब्लिक भोयर धारिता (आ) = आ(1)(आ)(2) **Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

शेयर धारकों की श्रेणी Category of Share-holders	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	
इ) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर C) Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समग्र कुल (अ+आ+इ) Grand Total (A+B+C)	0	500,000	500,000	100	0	500,000	500,000	100	0

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता Shareholding of Promoter

क्रम सं. Sr. No.	शेयरधारकों का नाम Shareholder's Name	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			वर्ष में धारित शेयरों में परिवर्तन का % % change in share holding during the year
	भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयरों की धारिता Holding shares on behalf of President of India	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का % % of Shares pledged /encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का % % of Shares pledged /encumbered to total shares	
1.	आलोक कुमार वर्मा Alok Kumar Verma	499940	99.988	0	0	0	0	-99.988
2.	सच्चिदानंद श्रीवास्तव Sachchidanand Shrivastava	10	.002	0	0	0	0	-0.002
3.	ताजहसन / TajHasan	10	.002	0	10	.002	0	अपरिवर्तित / No change
4.	अमूल्य पटनायक Amulya Patnaik	0	0	0	499940	99.988	0	99.988
5.	ऐ. के. सिंह / A. K. Singh	0	0	0	10	.002	0	0.002
6.	दीपक मिश्रा / Deepak Mishra	10	.002	0	0	0	0	-0.002
7.	मुकेश चंद्र / Mukesh Chandra	10	.002	0	0	0	0	-0.002
8.	टी. एन. मोहन / T.N. Mohan	0	0	0	10	.002	0	-0.002
9.	सुधीर यादव / Sudhir Yadav	10	.002	0	0	0	0	-0.002
10.	पी. कामराज / P. Kamraj	10	.002	0	10	.002	0	अपरिवर्तित / No change
11.	एस. निथियानंदम S. Nithianandam	0	0	0	10	.002	0	0.002
12.	अजय कश्यप / Ajay Kashyap	0	0	0	10	.002	0	0.002
	कुल / Total	500000	100	0	500000	100	0	0

(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

(iii) Change in Promoters' Shareholding (specify, if there is no change)

क्रम सं. Sr. No.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company
1.	वर्ष के प्रारंभ में At the beginning of the year	500,000	100	500,000	100
2.	वृद्धि / गिरावट (अर्थात् आबंटन / अंतरण / बोनस / श्रमसाध्य साम्य आदि) के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/sweat equity etc.)	#	#	#	#
	वर्ष के अंत में At the End of the year	500,000	100	500,000	100

संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में प्रतिमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
There is no change in the shareholding pattern of the promoters.

iv) शीर्ष दस शेयर धारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयर धारिता प्रतिमान

(IV) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्रम सं. Sr. No.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company
1.	वर्ष के प्रारंभ में At the beginning of the year	0	0	0	0
2.	वृद्धि / गिरावट(अर्थात् आबंटन / अंतरण / बोनस / श्रमसाध्य साम्य आदि) के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying thereasons for increase/ decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/sweat equity etc.)	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए) At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	0	0	0	0

v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता:

V) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	शेयरधारिता Shareholding		दिनांक Date	शेयरधारिता में वृद्धि / गिरावट Increase/ Decrease in shareholding	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		वर्ष के प्रारंभ / अंत में शेयरों की संख्या No. of shares at the beginning / end of the year	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company			शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company
क / A	निदेशक/Directors						
1.	अमूल्य कुमार पटनायक (भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयर धारित) Amulya Kumar Patnaik (Holding shares on behalf of President of India)	0	0	16.03.2017	499940	499940	99.988
2.	अजय कुमार सिंह (भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयर धारित) Ajai Kumar Singh (Holding shares on behalf of President of India)	0	0	29.06.2016	10	10	0.002

V) ऋणग्रस्तता:

V) INDEBTEDNESS:

		जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण Secured Loans excluding deposits	अप्रतिभूत ऋण Unsecured Loans	निक्षेप Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूलधन ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज	i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
योग (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	Change in Indebtedness during the financial year				
अभिवर्धन कटौती निवल परिवर्तन	Addiction Reduction Net Change	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूलधन ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज	i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
योग (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	0	0	0

कंपनी की बकाया / प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता।

* Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

VI) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

VI) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक
(A) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

क्रम सं. Sr. No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager	कुल राशि Total Amount
1.	सकल वेतन Gross salary (अ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961 (आ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961 (इ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of Income Tax Act, 1961	शून्य / NIL	
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option		
3.	श्रमसाध्य साम्य Sweat Equity		
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में / Commission – as % of profit		
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें / Others, please specify		
	कुल (क) / Total (A)		
	अधिनियम के अनुसार सीमा / Ceiling as per the Act		

(ग) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक – लागू नहीं ।
(C) Remuneration to key managerial personnel other than MD/Manager/WTD – Not Applicable

क्रम सं. Sr. No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रमुख प्रबंध कार्मिकों Key Managerial Personnel			
		मुकाअधि/CEO	कंस / CS	मुविअधि/CFO	कुल /Total
1.	सकल वेतन Gross salary (अ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961 (आ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961 (इ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of Income Tax Act, 1961	शून्य / NIL			
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option				
3.	श्रमसाध्य साम्य Sweat Equity				
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में / Commission – as % of profit				
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें / Others, specify				
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें / Others, please specify				
	कुल (क) / Total (A)				
	अधिनियम के अनुसार सीमा / Ceiling as per the Act				

VII) शास्ति या दंड या अपराध उपशमन: लागू नहीं ।

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NOT APPLICABLE

प्रकार Type	कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाए गए शास्ति / दंड / अपराध उपशमन की फीस Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकारी(प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय) Authority [RD/NCLT/ COURT]	अपील,यदि हो(ब्योरा दें) Appeal made, if any (give details)
क. कंपनी A. COMPANY					
शासित/Penalty					
दंड/Punishment					
अपराध/Compounding					
ख. निदेशक B. DIRECTORS					
शासित/Penalty					
दंड/Punishment					
अपराध/Compounding					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
शासित/Penalty					
दंड/Punishment					
अपराध/Compounding					

अनुलग्नक 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 16 देखें)

(पृष्ठ 2 का 1

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में)

1 **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2016 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (नीति) को अपनाया, जो इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है। कंपनी की सीएसआर, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के साथ अनुरूप है।

2 **निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का गठन**

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति में 31.03.2017 तक 3 (तीन) निदेशक शामिल हैं:

श्री अमूल्य पटनायक (अध्यक्ष)

श्री ए. के. सिंह

श्री एस. पी. पाठक

3 **वित्तीय विवरण**

Annexure 'B'

(See Para 16 of Directors Report)

(page 1 of 2)

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

(Pursuant to Section 135 of the Companies Act,2013)

1 **Brief outline of the Corporate Social Responsibility (CSR) Policy**

The Board of Directors adopted the CSR Policy (Policy) on 29th March, 2016 which is annexed to this report as Annexure B. The Company's CSR is in alignment with the DPE Guidelines.

2 **Composition of CSR Committee of the Board**

The CSR Committee of the Board comprises 3 (Three) directors as on 31.03.2017:

Shri Amulya Patnaik (Chairman)

Shri A.K. Singh

Shri S.P. Pathak

3 **Financial Details**

विवरण / Particulars	रु. / Rs
पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल लाभ (कर पूर्व) Average Net Profit (before tax) for Preceding 3 Financial years	15601596
वित्तीय वर्ष 2016 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय (औसत लाभ का 2%) Prescribed CSR Expenditure (2% of Average Profit) for FY 2016	312032
वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण: **Details of CSR Expenditure during the financial year 2016-17:**	
वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि Total amount to be spent for the financial year	312032
राशि व्ययित की गई Amount spent	2,72,500
अव्ययित राशि Amount unspent	39532

4 **सीएसआर गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान धनराशि किस प्रकार व्ययित की गई और आवंटित पूर्ण धनराशि को अव्ययित करने के कारण :**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, शिक्षा के लिए पुलिस फाउंडेशन में स्वच्छता का प्रसार, दिल्ली के लिए रु.2,72,500 का खर्च किया गया था और वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु.39532/– की राशि अव्ययित शेष थी। ।

कंपनी का प्रयास है कि पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के साथ आवंटित सीएसआर बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पिछले वर्ष के दौरान रु.39532/– की अव्ययित धनराशि, जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वित्तीय वर्ष 2017–18 के सीएसआर बजट में जोड़ी गई थी।

5. **उत्तरदायित्व का कथन**

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार सीएसआर नीति कार्यान्वित की गई है और सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों के कार्यान्वयन पर नजर रखती है जो हमारे सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन अनुसार हैं।

4 **Manner in which the amount spent during the financial year and Reasons for non spending the full amount allocated for CSR Activities:**

Pursuant to the DPE Guidelines read with provisions of Companies Act, 2013 the expenditure of Rs.2,72,500 was spent for promoting sanitation in Police Foundation for Education, Delhi and an amount of Rs.39532/- was remaining unspent during FY 2016-17.

The Company is endeavored to ensure full utilization of the allocated CSR budget along with unspent amount of previous year. The amount of Rs.39532/- which remained unspent during the previous year, due to unavoidable circumstances, added to the CSR budget for the Financial Year 2017-18.

5 **Responsibility Statement**

We hereby affirm that the CSR Policy, as approved by the Board, has been implemented and the CSR Committee monitors the implementation of CSR Projects and activities in compliance with our CSR objectives and policy of the company.

31 मार्च, 2017 को बैंक समाधान विवरण

BANK RECONCILIATION STATEMENT 31ST MARCH, 2017

बैंक बुक के अनुसार शेष Balance as per Bank Book	277,245.50
चैक जमा किया लेकिन अभी तक समाशोधित नहीं हुआ Cheque Deposited but not clear yet अंतरित / Trfr 3.29.2017	272,500.00
31 मार्च, 2017 के बैंक विवरण के अनुसार शेष Balance as per Bank Statement 31st March 2017	4,745.50

मूल्यांकन वर्ष	/ASSTT. YEAR	: 2017-18
पूर्व वर्ष	/PREV YEAR	: 2016-17
पैन	/PAN	: AACCD8943J
स्थापना की तारीख	/D.O.I.	: 16/11/2007

कर योग्य आय की गणना

COMPUTATION OF TAXABLE INCOME

व्यापार अथवा व्यवसाय से आय	INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	
लाभ और हानि लेखे से निवल लाभ	Net Profit as per Profit & Loss A/c	211,431
जोड़ें : धारा 37 सीएसआर भुगतान पर रोक	Add: CSR Payment Disallowed u/s 37	272,500
जोड़ें : धारा 40ए(ii) के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के ब्याज पर रोक	Add: Interest on TDS/I. Tax disallowed u/s 40a(ii)	453,220
जोड़ें : बट्टे खाते में राशि (पूर्वावधि व्यय)	Add: Amount written off (Prior Period Expenses)	6,000,000
कुल आय	**Total Income**	6,937,151
कुल आय को पूर्णांक करना	Total Income r/off	6,937,160
कुल आय पर कर	Tax on Total Income	2,081,148
जोड़ें: 3% की दर से शिक्षा उपकर	Add: Education Cess @3%	62,434
जोड़ें : धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज	Add: Intt. U/s 234C	17,631
कुल कर	**Total Tax**	**2,161,213**
घटाएं : अग्रिम कर	Less: Advance Tax	1,571,867
घटाएं : स्रोत कर कटौती	Less: TDS	752,544
		163,198
देय वापसी	**Refund Due**	**163,198**

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

For and on behalf of the Board

ह.	ह.	Sd/-	Sd/-
(अमूल्य कुमार पटनायक)	**(अजय कुमार सिंह)**	**(Amulya Kumar Patnaik)**	**(Ajai Kumar Singh)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	Chairman	Managing Director

31 मार्च, 2017 को तुलन–पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं0	31/03/2017 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. ईक्विटी और देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयरपूंजी	3	50,000,000	50,000,000
आरक्षित और अधिशेष	4	57,242,129	59,174,279
गैर–चालू देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	789,503	789,503
चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	6	179,883,841	35,981,517
अल्पावधि प्रावधान	7	—	3,954,695
कुल		**287,915,472**	**149,899,994**
II. आस्तियां			
चालू आस्तियां			
नकद और नकद तुल्य	8	109,989,327	140,548,197
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	9	713,966	845,227
अन्य चालू आस्तियां	10	177,212,180	8,506,570
कुल		**287,915,472**	**149,899,994**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां**	2		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(अजय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07682055

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2017

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
I. EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	3	50,000,000	50,000,000
Reserves and Surplus	4	57,242,129	59,174,279
Non-Current Liabilities			
Other Long Term Liabilities	5	789,503	789,503
Current Liabilities			
Other Current Liabilities	6	179,883,841	35,981,517
Short Term Provisions	7	-	3,954,695
Total		**287,915,472**	**149,899,994**
II. ASSETS			
Current Assets			
Cash and Cash Equivalents	8	109,989,327	140,548,197
Short Term Loans and Advances	9	713,966	845,227
Other Current Assets	10	177,212,180	8,506,570
Total		**287,915,472**	**149,899,994**
Significant Accounting Policies Notes on financial Statements	2		

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Ajai Kumar Singh)
Managing Director
DIN No. 07682055

Place : New Delhi
Date : 20.09.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं0	31/03/2017 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. प्रचालनों से आय		-	-
II. अन्य आय	11	38,719,300	301,173,244
III. कुल राजस्व (I+II)		38,719,300	301,173,244
IV. व्ययः			
परियोजना व्यय की लागत	12	31,092,500	282,712,525
अन्य व्यय	13	7,415,369	1,047,044
कुल व्यय		38,507,869	283,759,569
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ	(III – IV)	211,431	17,413,675
VI. आपवादिक मदें		--	--
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V – VI)		211,431	17,413,675
VIII. असाधारण मदें		--	--
IX. कर पूर्व लाभ (VII – VIII)		**211,431**	**17,413,675**
X. कर व्ययः			
(1) चालू कर		2,143,582	5,887,234
(2) आस्थिगित कर		--	--
XI. निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ/(हानि)	(IX – X)	(1,932,151)	11,526,441
XII. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि)		--	--
XIII. अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		--	--
XIV. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XII- XIII)		--	--
XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI + XIV)		**(1,932,151)**	**11,526,441**
XVI. प्रत्येक रु.100/– के सममूल्य के ईक्विटी शेयर			
XVII. प्रति ईक्विटी शेयर आयः			
(1) मूल और मिश्रित		**(3.86)**	**23.05**
XVIII. प्रति शेयर की आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या			
(1) मूल और मिश्रित		500,000	500,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों टिप्पणियां	2		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(अजय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07682055

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2017

PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE ENDED 31st MARCH 2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
I. Revenue from operations		-	-
II. Other Income	11	38,719,300	301,173,244
III.Total Revenue (I+II)		38,719,300	301,173,244
IV. Expenses:			
Cost of Project Expenses	12	31,092,500	282,712,525
Other Expenses	13	7,415,369	1,047,044
Total Expenses		38,507,869	283,759,569
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax	(III – IV)	211,431	17,413,675
VI. Exceptional Items		--	--
VII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		211,431	17,413,675
VIII. Extraordinary Items		--	--
IX. Profit before tax (VII – VIII)		**211,431**	**17,413,675**
X. Tax Expenses :			
(1) Current tax		2,143,582	5,887,234
(2) Deferred tax		--	--
XI. Profit (Loss) from the period from continuing operations	(IX – X)	(1,932,151)	11,526,441
XII. Profit/(Loss) from discontinuing operations		--	--
XIII. Tax expenses of discontinuing operations		--	--
XIV. Profit/(Loss) from Discontinuing operations (XII – XIII)		--	--
XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV)		**(1,932,151)**	**11,526,441**
XVI. Equity shares of par value a 100/- each			
XVII. Earning per equity share:			
(1) Basic and Diluted		**(3.86)**	**23.05**
XVIII. Number of shares used in computing earnings per share			
(1) Basic and Diluted		500,000	500,000
Significant accounting policies Notes on Financial Statements	2		

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Ajai Kumar Singh)
Managing Director
DIN No. 07682055

Place : New Delhi
Date :20.09.2017

2016–17 के लिए नकद प्रवाह का विवरण

		2016-17	
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	कराधान पूर्वलाभ	211,431	
	समायोजन के लिएः		
	ब्याज आय	(7,626,800)	
	ब्याज व्यय	-	
		(7,415,370)	
	चालू आस्तियों में वृद्धि	(168,574,349)	
	चालू देयताओं में वृद्धि	143,902,324	
	प्रचालन से सृजित नकद	(32,087,395)	
	प्रदत्त आयकर	6,098,276	
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद उपयोग		**(38,185,671)**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	प्राप्त ब्याज	7,626,800	
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद		7,626,800
ग	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद		-
	नकद और नकद समकक्ष में निवल (घटत)		(30,558,871)
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		140,548,197
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		**109,989,327**

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(अजय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07682055

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2017

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR 2016-17

	2016-17	
A CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before taxation	211,431	
Adjustments for:		
Interest income	(7,626,800)	
Interest expense	-	
	(7,415,370)	
Increase in Current Assets	(168,574,349)	
Increase in Current Liabilities	143,902,324	
Cash generated from operations	(32,087,395)	
Income tax paid	6,098,276	
Net cash used in operating activities		**(38,185,671)**
B CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Interest received	7,626,800	
Net cash from investing activities		7,626,800
C CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Net cash used from financing activities		-
Net (decrease) in cash and cash equivalents		(30,558,871)
Cash & cash equivalents at beginning of the period		140,548,197
Cash & cash equivalents at endof the period		**109,989,327**

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Ajai Kumar Singh)
Managing Director
DIN No. 07682055

Place : New Delhi
Date :20.09.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 **कंपनी सूचना**

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की स्थापना दिनांक 16.11.2007 को गृह–निर्माण और पुलिस थाना की इमारत तथा निर्माण कार्य/सिविल– निर्माण कार्य, मरम्मत आदि अथवा पुलिस विभाग की किसी भी इमारत संबंधी कोई भी निमार्ण कार्य को करने के उद्देश्य से की गई थी।

2 **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

क. **वित्तीय विवरणिकाओं की मूल तैयारी**

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन मानक और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति की आवश्यकता का पालन करते हैं।

ख. **स्थायी आस्तियां**

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं।

ग. **मूल्ह्रास**

कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं इसलिए वर्ष के दौरान कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं हुआ।

घ. **गैर–चालू देयता**

दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित प्रारंभिक व्यय और अन्य व्यय और उन्हें देय गैर–वर्तमान देयताएं माना जाता है।

ङ. **राजस्व मान्यता नीति**

जब कभी उपार्जित होता है, आय को मान्यता दी जाती है।

च. **कर के लिए लेखांकन**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में अदायगी योग्य कर की राशि पर चालू कर निर्धारित होता है।

छ. **सरकारी अनुदान का लेखांकन**

कंपनी को कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरणों के लिए गृह मंत्रालय से योजना शीर्ष 4055 – पूँजी परिव्यय में से अनुदान मिल रहा है। अनुदान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित लागतें होती हैं। कंपनी ने उसे राजस्व अनुदान माना है तथा और पूर्ण निर्माण कार्य की डिग्री के आधार पर कार्यशील पूंजी के रूप में मानने के बजाय व्यय को लाभ और हानि लेखा का विवरण में निर्माण व्यय और निष्पादन व परामर्श प्रभार के अंतर्गत व्यय को बुक किया है।

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2017

1 **Corporate Information**

Delhi Police Housing Corporation Limited was incorporated on 16.11.2007 with the object of construction of houses and police station buildings and to undertake construction/civil work, repair etc. or to do any civil work in connection with any building belonging to police department.

2 **Significant Accounting Policies**

A **Basic Preparation Of Financial Statements**

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to the relevant presentation requirement of the Companies Act, 2013.

b. **Fixed Assets**

No Fixed Assets purchased during the year.

c. **Depreciation**

There is no Fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.

d. **Non-Current Liabilities**

Preliminary Expenses and other Expenses financed by Delhi Police and payable to them are considered as non-current Liabilities.

e. **Revenue Recognition Policy**

Income is recognized as and when accrued.

f. **Accounging For Tax**

Current Tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

g. **Accounting Of Government Grants**

The Company has been receiving grants from Ministry of Home Affairs (MHA) for construction and modernization of office and residential building FROM PLAN HEAD 4055 – Capital Outlay. Grants are recognized over the period in which the related costs are incurred. The Company has treated the same as revenue grant and has booked the expenditure under the head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Statement of Profit & Loss account instead of treating them as capital work in progress on the basis of degree of completed work..

ज. प्रावधान

माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री वाले प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब घटनाओं के परिणामस्वरूप दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देयताएं मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन लेखों की टिप्पणी में बताया गया हैं। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता जाती है और न ही खुलासा किया गया है।

झ. प्रति शेयर उपार्जन

प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर प्रकट किया जाता है। प्रति शेयर अवमिश्रित उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा बकाया अवमिश्रित ईक्विटी शेयरों के समकक्ष प्रकट किया जाता है केवल, तब ही जब परिणाम अवमिश्रित विरोधी है।

ञ. पूर्ववर्ष के शेष/आंकड़ों को पुनः समूहित तथा पुनः समायोजित किया जाता है।

h. Provisions

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

i. Earning Per Share

Basic Earnings per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent share outstanding during the period, except when the results would be anti-dilutive.

j. Previous year Balances/Figures are regrouped & rearranged wherever necessary.

टिप्पणी संख्या : 3. शेयर पूंजी

क) शेयर पूंजी	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत				
प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
जारी				
प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त किंतु पूर्णतः प्रदत्त नही				
कुल	**500,000**	**50,000,000**	**500,000**	**50,000,000**

ख. 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31/03/2017 को ईक्विटी शेयर		31/03/2016 को ईक्विटी शेयर	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ग. 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:

नाम	शेयर धारिता की संख्या	शेयर का प्रकार	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	499,940	ईक्विटी शेयर	99.99%

घ. 31/03/2016 को अदत्त अंश

विवरण	रुपए
निदेशक द्वारा	–
अधिकारियों द्वारा	–

टिप्पणी संख्या : 4. आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्रारंभिक शेष	59,174,279	47,647,838
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	(1,932,151)	11,526,441
कुल	**57,242,129**	**59,174,279**

टिप्पणी संख्या : 5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
दिल्ली पुलिस	789,503	789,503
कुल	**789,503**	**789,503**

Notes on Financial Statements

Note : 3. SHARE CAPITAL

a) Share Capital	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017		Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016	
	Number	Rs.	Number	Rs.
Authorised Equity shares of a 100 each	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
Issued				
Equity shares of a 100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed & Fully Paid up				
Equity shares of a 100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed but not Fully Paid up				
Total	**500,000**	**50,000,000**	**500,000**	**50,000,000**

b) The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share Capital as at March 31, 2017 and March 31, 2016 is set out below:

Particulars	Equity Shares as on 31/03/2017		Equity Shares as on 31/03/2016	
	No.	Amount	No.	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

c) Below are the name(s) of the shareholders holding more than 5% of Shares

Name	No. of Share Holding	Class of Share	Percentage of Holding
President of India	499,940	Equity Share	99.99%

d) Unpaid calls as on 31/03/2016

Particulars	Rs.
By Directors	-
By Officers	-

Note : 4. RESERVE & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Opening Balance	59,174,279	47,647,838
Add: Profit & Loss A/c	(1,932,151)	11,526,441
Total	**57,242,129**	**59,174,279**

Note : 5. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Delhi Police	789,503	789,503
Total	**789,503**	**789,503**

टिप्पणी संख्या : 6. अन्य चालू देयताएं (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अव्ययित सरकारी अनुदान	4,173,663	35,266,163
भुगतान योग्य व्यावसायिक प्रभार	75,600	72,485
भुगतान योग्य लेखापरीक्षा फीस	59,400	52,500
आशु गुप्ता एंड कंपनी	36,750	36,067
भुगतान योग्य स्रोत पर कटौती	64,700	342,147
प्रतिभूति निवेश राइट्स	259,655	212,155
एटीजे एंड एसोशिएट्स	12,600	–
गृह मंत्रालय को भुगतान योग्य	174,726,473	–
राईट्स लिमिटेड	475,000	–
कुल	**179,883,841**	**35,981,517**

टिप्पणी संख्या : 7. अल्पावधि प्रावधान (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कर हेतु प्रावधान	2,143,582	5,887,234
घटाएं: अग्रिम कर	1,571,867	1,034,322
घटाएं: स्रोत पर कर की कटौती	571,715	898,217
कुल	–	**3,954,695**

टिप्पणी संख्या : 8. नकद और नकद समकक्ष (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
क) बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825	4,746	34,330,839
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075	633	615,812
ख) अन्य (प्रकार विनिर्दिष्ट करें)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	109,983,948	105,601,546
कुल	**109,989,327**	**140,548,197**

टिप्पणी : नकद और नकद समतुल्य में बैंक के साथ कंपनी द्वारा रखी गई जमा राशि शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना मूलधन पर अर्थदंड के वापस लिया जा सकता है।

टिप्पणी संख्या : 9. अल्पावधि ऋण और अग्रिम (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
आयकर वापसी	533,137	845,227
आयकर वापसी मूल्यांकन वर्ष 2017–18	180,829	–
कुल	**713,966**	**845,227**

Note : 6. OTHER CURRENT LIABILITIES (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Unspent Government Grant	4,173,663	35,266,163
Professional Charges Payable	75,600	72,485
Audit Fees Payable	59,400	52,500
Ashu Gupta & Co.	36,750	36,067
TDS Payable	64,700	342,147
Security Deposit Rites	259,655	212,155
ATJ & Associates	12,600	-
Payable to MHA	174,726,473	-
Rites Limited	475,000	-
Total	**179,883,841**	**35,981,517**

Note : 7. SHORT TERM PROVISIONS (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Provision for Tax	2,143,582	5,887,234
Less: Advance Tax	1,571,867	1,034,322
Less: TDS Adjusted	571,715	898,217
Total	**-**	**3,954,695**

Note : 8. CASH & CASH EQUIVALENTS (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
a) Balance with Bank		
State Bank of India –A/c-825	4,746	34,330,839
State Bank of India-A/c-1075	633	615,812
b) Others (Specify nature)		
FDR's with SBI	109,983,948	105,601,546
Total	**109,989,327**	**140,548,197**

Note : Cash and Cash Equivalents includes deposites maintained by the Company with Bank, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

Note : 9. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Income Tax Refund	533,137	845,227
Income Tax Refund A.Y.2017-18	180,829	-
Total	**713,966**	**845,227**

टिप्पणी संख्या : 10. अन्य चालू आस्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्राप्ति योग्य एफडीआर पर ब्याज	2,485,707	2,506,570
पीडब्ल्यूडी	–	6,000,000
हिंदुस्तान प्रिफेब लिमिटेड	88,716,151	–
राईट्स लिमिटेड	86,010,322	–
कुल	**177,212,180**	**8,506,570**

टिप्पणी संख्या : 11. अन्य आय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
सरकारी अनुदान स्वीकारना	31,092,500	266,461,781
एसबीआई में सावधि जमा पर ब्याज	7,525,376	8,982,093
अग्रिम पर ब्याज	–	25,729,370
आयकर वापसी पर ब्याज	101,424	–
कुल	**38,719,300**	**301,173,244**

टिप्पणी संख्या : 12. परियोजना लागत का व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निर्माण व्यय (पुलिस स्टेशन)	26,050,809	273,188,404
निष्पादन और परामर्श प्रभार	5,041,691	9,524,121
कुल	**31,092,500**	**282,712,525**

13. अन्य व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कानूनी और व्यावसायी फीस	110,200	99,129
प्रतिधारण प्रभार	483,000	480,025
आरओसी फीस	21,700	16,700
आयकर पर ब्याज/स्रोत पर कटौती	453,220	106,930
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	64,900	57,500
सीएसआर भुगतान	272,500	285,500
बट्टे खाते में राशि	6,000,000	–
बैंक प्रभार	1,251	1,260
विविध व्यय	8,598	–
कुल	**7,415,369**	**1,047,044**

Note : 10. OTHER CURRENT ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Interest on FDR Receivable	2,485,707	2,506,570
PWD	-	6,000,000
Hindustan Prefab Limited	88,716,151	-
RITES Ltd.	86,010,322	-
Total	**177,212,180**	**8,506,570**

Note : 11. OTHER INCOMES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Government Grant recognize	31,092,500	266,461,781
Interest on term deposit with SBI	7,525,376	8,982,093
Interest on Advance	-	25,729,370
Interest on I. Tax Refund	101,424	-
Total	**38,719,300**	**301,173,244**

Note : 12. COST OF PROJECT EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Construction Expenses (Police Station)	26,050,809	273,188,404
Execution & Consultancy Charges	5,041,691	9,524,121
Total	**31,092,500**	**282,712,525**

Note : 13. OTHER EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2017	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2016
Legal & Professional Fees	110,200	99,129
Retainership Charges	483,000	480,025
ROC Fees	21,700	16,700
Interest on Income Tax/TDS	453,220	106,930
Auditors Remuneration	64,900	57,500
CSR Payment	272,500	285,500
Amount Written Off	6,000,000	-
Bank Charges	1,251	1,260
Misc. Exp.	8,598	-
Total	**7,415,369**	**1,047,044**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर अन्य टिप्पणियां

14. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अप्रयुक्त धनराशि से राइट्स लिमिटेड को रु.3,10,92,500/– का भुगतान किया। इस अनुदान से किए गए भुगतान को निर्माण लागत/निष्पादन और परामर्श शुल्क से संबंधित व्यय के रूप में माना जाता है जो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

15. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल), राइट्स लिमिटेड और अन्य कार्यकारी एजेंसियों के साथ ब्याज सहित अप्रयुक्त शेष राशि वरिष्ठ लेखा अधिकारी, (लेखा), प्रधान लेखा अधिकारी (वेलेकार्या), गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार वेतन और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की है। कंपनी ने पिछले वर्षों की तरह उपरोक्त कंपनियों के साथ शेष राशि पर ब्याज का हिसाब नहीं किया है। इसके अलावा पिछले वर्षों में, इस ब्याज आय को परियोजनाओं के निर्माण/नवीनीकरण पर खर्च किया गया माना जाता है। अतएव, एचपीएल और राइट्स लिमिटेड के पास पड़ी शेष धनराशि जो वेतन और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय की है, का विचार करते हुए लेखांकन नीति में बदलाव किया है।

    चूंकि एचपीएल और राइट्स लिमिटेड के पास पड़ी अप्रयुक्त अधिशेष निधि वेतन और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय की है, इसलिए ब्याज पर स्रोत पर कटौती सहित निष्पादन एजेंसियों के साथ सामंजस्य कंपनी का विषय नहीं है। लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण, राजस्व और व्यय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रु.1,69,39,796.50 से कम हो गया है।

16. दिनांक 31.03.2016 को अनुपयोगी अनुदान का रु.3,52,66,163/– की राशि बकाया थी और इस अनुपयोगी अनुदान में से रु.3,10,92,500/– का उपयोग राइट्स लिमिटेड को भुगतान करके किया गया है। अनुपयोगी अनुदान को तुलन–पत्र में अन्य चालू देयताएं में दिखाया गया है क्योंकि इसे लाभ और हानि का विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता मिली है एक अवधि के बाद संबंधित लागत, जिसकी लेखांकन मानक–12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, का मिलान करना आवश्यक है।

17. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में बापू धाम परियोजना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को रु.60 लाख की अग्रिम राशि दी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वेतन और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय, के निर्देशों के अनुसार उपरोक्त राशि डीपीएचसीएल को वापस नहीं की गई, उसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला है।

18. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

19. लेखा मानक–15 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का अपना कोई कर्मचारी नहीं है।

Other Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2017

14. During the financial year, the Company made a payment of Rs.3,10,92,500/- to Rites Limited from the unutilized funds. The payment made out of this grant is treated as expenditure relating to Construction Cost/Execution and Consultancy charges assuming the same utilized for the purpose.

15. The unspent balances along with interest accrued thereon pending with Hindustan Prefab Ltd. (HPL), Rites Limited and other Executing Agencies belongs to PAO, MHA as per directions of Sr. AO (A/Cs) Principal Accounts Officer (PAO), Ministry of Home Affairs (MHA), New Delhi. The Company has not accounted for interest on balance lying with above companies as done in previous years. Also in previous years, this interest income is considered to have incurred on construction/ renovation of projects. Hence there is change in accounting policy considering balance lying with HPL and Rites Ltd. belongs to PAO, MHA.

    Since unutilized surplus funds with HPL and Rites Ltd. belongs to PAO, MHA, reconciliation with Executing Agencies including TDS on interest is not the subject matter of the Company. Due to change in Accounting Policy, revenues as well as expenditures are reduced by Rs.1,69,39,796.50 during the current financial year.

16. There was outstanding balance of Rs.3,52,66,163/- of unutilized grant as on 31/03/2016 and out of this unutilized grant Rs.3,10,92,500/- has been utilized during the financial year 2016-17 by making payment to Rites limited. The unutilized grant is shown in other current liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & loss over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard – 12.

17. The Company has given an advance of Rs.60 lakhs to CPWD for Bapu Dham Project in F.Y. 2010-11. Considering the fact that the above amount not returnable to DPHCL asper directions of PAO, MHA, the same is written off during the current financial year.

18. There is no Contingent liability of the Company.

19. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.

20.प्रबंधन कार्मिकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

20. The details of Management Personnel are as follows:

क्रसं0 S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री गिरधारी लाल मीणा Sh. Girdhari Lal Meena	नामित निदेशक Nominee Director	29/10/2013	23/06/2015
2.	श्री एस. पी. पाठक Sh. S.P. Pathak	नामित निदेशक Nominee Director	28/03/2014	31/05/2017
3.	श्री किशन कुमार Sh. Kishan Kumar	प्रबंध निदेशक Managing Director	28/03/2014	05/05/2016
4.	श्री राकेश मित्तल Sh. Rakesh Mittal	निदेशक Director	24/03/2015	31/05/2017
5	श्री आलोक कुमार वर्मा Sh. Alok Kumar Verma	अध्यक्ष Chairman	29/02/2015	31/01/2017
6.	श्री सुधीर यादव Sh. Sudhir Yadav	प्रबंध निदेशक Managing Director	15/10/2015	05/05/2016
7.	श्री यश पाल गर्ग Sh. Yash Pal Garg	निदेशक Director	18/09/2015	09/09/2016
8.	श्री अजय कश्यप Sh. Ajay Kashyap	प्रबंध निदेशक Managing Director	20/06/2016	18/11/2016
9.	श्री अजय कुमार सिंह Sh. Ajai Kumar Singh	प्रबंध निदेशक Managing Director	18/11/2016	जारी Continuing
10.	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Sh. Amulya Kumar Patnaik	निदेशक Director	31/01/2017	जारी Continuing
11..	श्री महेश कुमार Sh. Mahesh Kumar	अपर निदेशक Additional Director	18/11/2016	02/03/2017

21. कंपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को समाप्त करती हैं, जहां इसे कानून योग्य अधिकार हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक–22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं का समाधान करना होता है तथा तद्नुसार, कर के लिए प्रावधान अग्रिम कर और प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती को वित्तीय विवरणिकाओं में दिखाया गया है।

राशि (रुपयों में)

कर के लिए प्रावधान	21,43,582
अग्रिम कर	15,71,867
स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य	7,52,544
आयकर (स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर)	(1,80,829)

21. The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intends to settle such assets and liability on a net basis in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable shown as follows in financial statements.

(Amount in Rs.)

Provision for Tax	21,43,582
Advance Tax	15,71,867
TDS receivable	7,52,544
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	(1,80,829)

22. प्रति शेयर मूल उपार्जन/अवमिश्रित की गणना लेखे के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को विभाजित किया गया है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या में से ईक्विटी शेयर धारकों के लिए उत्तरदायी है।

22. Basic/Diluted Earning Per Shares has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity share holders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

(राशि रुपयों में /Amount in Rs)

प्रति शेयर अर्जन	Calculation of EPS	As on 31.03.2017 को	As on 31.03.2016 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	(19,32,151)	1,15,26,441
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	5,00,000	5,00,000
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	(3.86)	23.05
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100	100

23. कंपनी की लघु उद्योग/उपक्रमों के प्रति कोई देयताएं नहीं है।

24. विमुद्रीकरण पर नोट – दिनांक 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान रखे गए और किए गए लेन–देन का निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का विवरण नीचे दिए अनुसार है: –

23. The Company has no outstanding liability towards small–scale Industries/ undertakings.

24. Note on Demonetisation - Details of Specified Bank notes (SBN) held and transacted during the period from 8th November 2016 to 30th December, 2016 as provided below:-

विवरण PARTICULARS	एसबीएन SBNS	अन्य मूल्यवर्गित नोट OTHER DENOMINATION NOTES	कुल TOTAL
08.11.2016 को हस्तंगत रोकड़ अंतःशेष Closing cash in hand As on 08-11-2016	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
(+) प्राप्तियों की अनुमति दी (+) permitted receipts	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
(+) भुगतान की अनुमति है (+) permitted payments	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
(-) बैंक में निवेशित राशि (-) amount deposited in bank	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
30.12.2016 को हस्तगत रोकड़ अंतःशेष Closing cash in hand As on 30-12-2016	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

25. कंपनी ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए रु.272500/– भुगतान किया है।

26. कुछ पक्षकारों के शेष और अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं।

25. The Company has made payment of Rs.272500/- towards Corporate Social Responsibility (CSR).

26. Balances of Parties & Advances are subject to confirmation and reconciliation.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह. **(अमूल्य कुमार पटनायक)** अध्यक्ष डीआईएन सं. 07749756	ह. **(अजय कुमार सिंह)** प्रबंध निदेशक डीआईएन सं.07682055

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701
स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 20.09.2017

For and on behalf of the Board

Sd/- **(Amulya Kumar Patnaik)** Chairman DIN No.07749756	Sd/- **(Ajai Kumar Singh)** Managing Director DIN No. 07682055

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड,

दिल्ली

1. एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संबद्ध दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 के तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

2. एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही और उचित दृष्किोण प्रस्तुत करते हैं।

इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाघड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

3. लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय विरणों पर अपनी राय देना है।

Independent Auditor's Report

To the Members

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED,
Delhi

1. Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying standlone financial statements of DELHI POLICE HO0USING CORPORATION LIMITED (THE COMPANY) which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

2. Management's Responsibility for the Standlone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 (the Act) with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of Act read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion of these standalone financial statements based on our audit.

यहां हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखापरीक्षा के मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके नियमों के तहत लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्विक गलतबयानी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा के प्राप्त करने के लिए कार्यविधियाँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन, के जोखिम, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ है, का मूल्यांकन शामिल है। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक मानते हैं जो लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

4. राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीक से अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना को दर्शाते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित दृष्टिकोण दते हैंः

क) 31 मार्च, 2017 को कंपनी के कार्यकलापों को तुलन–पत्र के मामले में; और

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लाभ और हानि लेखे के मामले में; और

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरण के मामले में;

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) In the case of the balance sheet of the state of affairs of the Company as at March 31, 2017.

(b) In the case of the profit and loss account of the profit for the year ended on that date; and

In the case of the Cash Flows, of the cash flows for the year ended on that date

5. **विषय का महत्व**

अपनी राय को योग्य किए बिना, हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते है:

1. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की दिनांक 11.11.2016 की अनुपूरक रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय, अनुदान देने वाली एजेंसी, से दिल्ली पुलिस, एक पृथक इकाई, से संबंधित परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अवश्यकता थी । प्राप्त अनुदानों को राजस्व अनुदान के रूप में माना जाता है अर्थात् दिल्ली पुलिस से संबंधित कार्यालय और आवासीय भवनों के उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान को लेखांकन वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान की सीमा तक राजस्व माना जाता है। तद्नुसार लेखांकन किया जाता है।

2. कंपनी ने बापूधाम परियोजना हेतु वर्ष 2010–11 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को रु. 60 लाख का भुगतान किया था। चूँकि परियोजना नहीं चल सकी, इसलिए दी गई अग्रिम राशि डूब गई है और उसे लाभ और हानि लेखे में नामे किया गया है। राशि एक पूर्वावधि व्यय है। (टिप्पणी सं.17 देखें)

3 ठेकेदारों को किए गए भुगतान को, चाहे इसका उपयोग कितना भी हुआ हो, भुगतान वर्ष में निर्माण व्यय में बुक किया गया था। पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ठेकेदारों से ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती न वसूलने के बारे में अभियुक्ति की गई थी। न तो किसी राशि की गणना की गई है और न ही कोई राशि वसूली गई है।

4 कंपनी पिछले वर्षों में अप्रयुक्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज को अपनी आय मान रही है। चूंकि चालू लेखा वर्ष के दौरान (पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के मामले में) अनुदान के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज अनुदान का भाग होता है, इसलिए कंपनी ने गृह मंत्रालय, अनुदान प्रदाता एजेंसी को रु. 17,47,26,472.00 की भुगतान योग्य ब्याज सहित अप्रयुक्त निधि के लिए देयताएं प्रदान की है।

6. **अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट**

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') में अपेक्षित अनुसार हम जहां तक लागू होता है, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण को **''अनुलग्नक क''** पर प्रस्तुत हैं।

2 अधिनियम की धारा 143 (3) में यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;

5. **EMPHASIS OF MATTERS**

Without qualifying our opinion, we draw attention to:

1. As per supplementary CAG report dated 11.11.2016, clarifications were required to be obtained from Ministry of Home Affairs (MHA), the granting agency about the ownership of assets created out of the grant belong to Delhi Police, a separate entity. Grants received are treated as revenue grants i.e. grant received for the purpose of office & house buildings belonging to Delhi Police are considered as revenue to the extent of grant utilized during the accounting year. Accounting for the same is done accordingly.

2. The company had paid a sum of Rs.60 lakh to PWD in 2010-11 for Bapu Dham Project. Since the project could not take off, the advance given has been written off & has been debited to profit & loss account. The amount is a prior period expense. (refer Note No.17)

3. Payments made to the contractors were booked in construction expenses in the year of payments irrespective of its utilization. Observation regarding non-recovery of TDS on interest from contractors was pointed out in previous year's audit report. Neither any amount has been calculated nor has any amount been recovered.

4. The Company has been recognzing interest earned on unutilized grants as its income in the previous years. Since the interest on unutilized portion of grants form part & partial of the grant, during the current accounting year (in case of completed projects), the company has provided liabilities for unutilized funds along with interest thereon for a sum of Rs.17,47,26,472.00 payable to MHA, the granting agency.

6. **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of Section 143 (11) of the Act, we give in the **"Annexure A"** statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:

a we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ख हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है;

ग इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;

घ हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ 31 मार्च, 2017 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशकों द्वारा रिकार्ड करने के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2017 को निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

च कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख' देखें।

छ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी का कोई लंबित मुकद्दमा नहीं है।

ii. कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि का प्रश्न नहीं उठता;

iii. ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां कंपनी द्वारा राशि को निदेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।

3 अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित अनुसार कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के बाद हमें उपयुक्त प्रतीत हुआ तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों में शामिल विषयों पर रिपोर्ट को **अनुलग्नक** 'ग' पर इसके साथ अनुबंधित किया गया है।

कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2017

b in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

c the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

e on the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2017, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2017, from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

f with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

g with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us:

i. The Company has no pending litigation.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts; as such the question of commenting on any material foreseeable losses thereon does not arise.

iii. There were no amounts required to be transferred to investor education and protection fund by the company.

3 As required by section 143 (5) of the Act, on the basis of examination of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, the report on the matters covered by the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India is annexed herewith as per **"Annexure C".**

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

DUA & ASSOCIATES DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

Chanchal Talwaria

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date :20.09.2017

अनुलग्नक 'क'

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्यगणों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्श के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 5 में संदर्भित अनुलग्नक 'क'

(i) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है इसलिए यह बिंदु लागू नहीं है।

(ii) जैसा कि कोई माल–सूची नहीं है, कंपनी पर खंड (ii) लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों किसी को प्रतिभूत/अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3(iii) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।

(vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण को विनिर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी खाता बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा–कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद–शुल्क, मूल्य योजित–कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित जो कंपनी पर लागू सामान्यतः अविवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित रही है। हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदायगी योग्य तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए उक्त सांविधिक देय बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण आयकर, बिक्री–कर, सेवा–कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद–शुल्क, मूल्य योजित–कर के देयों का कोई बकाया नहीं है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया

Annexure "A"

Annexure "A" referred to in paragraph 5 of the Independent Auditor's Report to the members of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED on the financial statements for the year ended 31st March 2017.

(i) The company has no fixed assets, hence this point not applicable.

(ii) As there is no inventory clause (ii) is not applicable to the company.

(iii) According to the information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured to the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act. Accordingly paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees, and security.

(v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year.

(vi) As informed to us the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records u/s 148(1) of the Act.

(vii) (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues which are applicable to the Company including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales Tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above statutory dues in arrears as at the end of the financial year as at 31st March 2017 for a period of more than six months from the date they become payable.

(b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.

(viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loan from banks and financial

वर्ष के दौरान, कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थान अथवा डिबेंचर धारकों के प्रति कोई बकाया नहीं है।

(ix) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रबंध समिति द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव अथवा ऋण सहित प्रारंभिक प्रस्ताव के रूप में धनराशि नहीं बढ़ाई है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर अथवा कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी न ही नोटिस अथवा रिपोर्ट की गई न ही प्रबंध समिति द्वारा ऐसे मामलों को सूचित किया गया है।

(xi) कंपनी ने अपनी प्रबंध समिति को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है इसलिए यह मद लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतएव आदेश का खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ लेन–देन नहीं हुआ, अतः यह मद लागू नहीं है।

(xiv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन अथवा निजी नियोजन अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(xv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा कंपनी से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकदीतर लेन–देन नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है तथा तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xvi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2017

institutions.The Company did not have any outstanding dues to any financial institution or debenture holders during the year.

(ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt.

(x) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company buy its officers or employees has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

(xi) The company had not paid any remuneration to its management hence this point is not applicable.

(xii) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3 (xii) of the Order are not applicable to the Company.

(xiii) There are no related party transactions during the year, hence this point is not applicable.

(xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3(xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act. 1934 and accordingly, the provisions of clause 3(xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwaria

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date :20.09.2017

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** ('कंपनी') के 31 मार्च, 2017 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के एकल विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा तक लागू लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') के अनुसार की है।ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा [illegible]

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** ('the Company') as on 31st March 2017 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of internal Financial Controls Over Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'Guidance note'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note, to the extent applicable to an Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जांच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल करें।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिंद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंध उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका वित्तीय विवरणों महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditure of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नांकित विषयों को छोड़कर जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सक्षम नहीं है, कंपनी के पास भी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2017 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे:

1. उनके द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में अपने ठेकेदारों के खातों का समाधान और उनके माध्यम से कार्य निष्पादित करवाया गया।
2. शेष पर अर्जित ब्याज / ठेकेदारों के पास पड़ी धनराशि।
3. परियोजनाओं के पूर्ण होने और सौंपे जाने के बावजूद ठेकेदारों को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की गैर–वसूली।
4. परियोजना वार खाते नहीं रखे गए।

कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2017

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance note issuede by the Institute of Chartered Accountants of India except the following four areas where the internal control system is not at all adequate:

1. Reconciliation of accounts of its contractors with regard to payments made to them and work got executed through them.
2. Interest earned on balance/idle funds lying with the contractors.
3. Non recovery of excess amount paid to contractor despite the projects had been completed and handed over.
4. Project wise accounts not maintained.

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwaria

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date :20.09.2017

कार्यालय:3404, मदन मार्किट, हकीम बाका स्ट्रीट, हौजकाजी, दिल्ली–110006
Email: ndua associates@yahoo.com
Contect no. 011-43658770,23252307,23266606,9810026954,9810680210

Office: 3404, MADAN MARKET, HAKIM BAQA STREET, HAUZ QAZI, DELHI – 110006
Email: ndua associates@yahoo.com
Contect no. 011-43658770,23252307,23266606,9810026954,9810680210

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

वित्तीय वर्ष : 2016–17

Directions under Section 143(5) of the new Companies Act, 2013

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

F.Y. 2016-17

क्रसं.	विवरण	Sr.No.	Particulars
1.	क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व /पट्टाधारित भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया उस फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं, जिसके लिए स्वामित्व पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	1.	Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not, please state the freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?
उत्तर	लेखा बहियों और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कंपनी की अपने नाम पर कोई पूर्ण स्वामित्व/पट्टाधारित संपत्ति नहीं है। कृपया गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के उपयोग के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के विषय का महत्व की टिप्पणी सं. 1 का संदर्भ लें।	Reply	As per books of accounts & explanations and information provided to us, the company has no leasehold/freehold property in its name. Kindly refer point No.1 of Emphasis of Matters of our audit report regarding treatment of grants received from MHA.
2.	क्या उधार/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते के कोई मामले हैं? यदि हां, तो इसके कारण और इसमें शामिल धनराशि बताएं।	2.	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc., if yes, the reasons therefor and amount involved.
उत्तर	लेखा बहियों के अनुसार – उधार/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते के कोई मामले नहीं हैं। कृपया वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग को बापूधाम परियोजना के लिए दिए गए रु.60.00 लाख को बट्टे खाते में डालने संबंधी मद सं. 2 का संदर्भ लें। चूंकि यह परियोजना नहीं चल सकी, इसलिए दी गई अग्रिम राशि डूब गई है । लेखा बहियों में नहीं लिए गए ठेकेदारों द्वारा अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कटौती को जमा नहीं करने संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विषय का महत्व के मद सं. 3 का संदर्भ लें।	Reply	As per books of accounts – there is no case of waiver/write off of debts/ loans/interest except Kindly refer Point No.2 regarding write off of Rs.60 lakh given for Bapu Dham Project to PWD in the year 2010-11. Since the project could not take off, the advance given has been written off. Kindly refer Point No.3 of Emphasis of Matters of our Audit Report regarding non-credit of TDS on interest earned on unspent funds by contractors not accounted for in books of account
3.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी माल–सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/ अनुदानों के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकार्ड रखे गए हैं।	3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant(s) from the Government or other authorities.
उत्तर	लागू नहीं।	Reply	Not applicable.

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – IV नई दिल्ली

गोपनीय

पत्र सं.557–पीडीसीए / एचएस / एमएबी–IV / ए / सीएस / डीपीएचसीएल / 17–18 / 1718

सेवा में,

दिनांक : 01.11.2017

प्रबंध निदेशक
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन
आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली–110002

विषय :भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां

महोदय / महोदया,

मैं दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह.
(एल. सिद्धार्थ सिंह)
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–IV

संलग्नकः उपरोक्त

आठवां व नवां तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स : 23239416
ई–मेल : mabNewdelhi4@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

Confidential

No. 557-PDCA/HS/MAB-IV/A/cs/DPHCL/17-18/
Dated:- 01.11..2017

To

The Managing Director,
Delhi Police Housing Corporation Limited,
K Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi-110002

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 on the accounts of the Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31st March 2017.

Sir,

I enclose herewith a **Nil Comment Certificate** under Section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013 on the accounts of the **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2017.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

L. Siddhartha Singh

(L. Siddhartha Singh)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel. / दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416
ईमेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणिकों की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन समिति का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम की धारा143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिका पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी 23 अक्तूबर, 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत दिल्ली पुलिस आवास निगम के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण, स्वतंत्र ढ़ग से, वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बगैर किया गया हैं तथा यह लेखा परीक्षा प्राथमिक रूप से, वैधानिक लेखा परीक्षकों, और कंपनी के व्यक्तियों से पूछताछ तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की जांच के आधार पर किया गया हैं । मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिसमें वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे ।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(एल. सिद्धार्थ सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड .–IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.11.2017

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/ auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised **Audit Report dated 23rd October 2017**.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated : 01.11.2017

L. Siddhartha Singh

(L. Siddhartha Singh)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com